भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/08/41/2015/एफ.सी. /100

दिनॉक: 23.05.2016

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालना इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, राजस्थान

विषय: **Diversion of 15.0015 ha. of forest land (including of 4.798 ha. already diverted and 3.6 ha. rediversion of already diverted in favour of NHAI) in favour of Public Health Engineering Department, Jaipur for construction of Drinking water piple line in Chambal Bhilwara Phase-I in district Chittorgarh, Bhilwara and Bundi.**

सन्दर्भ– क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक– 18.04.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 15.0015 हे0 में भीलवाड़ा वन मण्डल के अन्तर्गत भा0रा0रा0प्रा0 के पक्ष में पूर्व में प्रत्यावर्तित 3.6 हे0 **<u>वन भूमि के पुनः प्रत्यावर्तन सम्मिलित है,</u>** जिसमें इस कार्यालय के पत्रांक– 8बी/राज0/08/18/2012/एफ0सी0,/1049 दिनांक– 08.10. 2014 द्वारा चम्बल भीलवाड़ा पेय जल परियोजना हेतु 4.798 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 3.60 हे0 पूर्व में जनपद भीलवाड़ा में एन0एच0ए0आई0 के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि का रि–डाईवर्जन एवं 1794 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, वर्तमान प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि एवं पातन होने वाले वृक्षों का ब्यौरा निम्नानुसार है–

Sr No.	Name of Division	In previous proposal		In present proposal		Difference	
		Area Diverted	trees to be felled	Proposed Area	trees to be felled	Proposed Area	trees to be felled
1	Kota MNP	2.57	1007	2.57	1007	0	0
2	Bhilwara	1.35	19	4.1446	19	2.7946	0
3	Chittorgarh	0.878	768	3.1501	855	2.2721	87
4	Bundi	0	0	1.5368	13	1.5368	13
	Total Diversion	**4.798**	**1794**	**11.4015**	**1894**	**6.6035**	**100**
	Re-diversion in Bhilwara Division	3.6	0	3.6		0	0
	Total	**8.398**	**1794**	**15.0015**	**1894**	**6.6035**	**100**

प्रस्ताव को दिनांक– 28.05.2015 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सशर्त स्वीकृति इस आधार पर दी गयी थी कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रकरण की स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे। आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हो गये हैं। अतः मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना में विषयानुसार प्रस्तावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं कुल प्रस्तावित 1894 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रकरण में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजनानुसार 11.4015 हे0 समतुल्य गैर वनभूमि पर (Bhainsroadgarh village 3.268ha., Sripura Village-0.18 ha. in Chittorgarh District & Dhanpur 1.35 ha., Rajpura (1.9324 ha.+4.6711 ha.) of Bhilwara District) क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जाएगी।

   उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. **प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत, प्रभावित वन भूमि (भीलवाड़ा वन मण्डल में 0.075 हे0 एवं बूंदी वन मण्डल में 0.656 हे0) कुल 0.731 हे0 के दस गुने वृक्षारोपण को अवनत वन भूमि (0.731x10= 7.31 ha.) अर्थात 8.00 हे0 पर करवाया जाएगा एवं 10 वर्षो तक इसके रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जाएगी।**

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जाएगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

6. विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4'' फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

7. पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी नाली मे पाइप डालने के उपरान्त पुनः ठीक से मिट्टी भरान किया जायेगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होगी।

9. इस कार्यालय के पत्रांक– 8बी/राज0/08/18/2012/एफ0सी0/1049, दिनांक– 08.10.2014 द्वारा प्रकरण (चम्बल भीलवाड़ा पेय जल परियोजना हेतु 4.798 हे0 (जनपद भीलवाड़ा– 1.350 हे0, चित्तौरगढ़ जनपद– 3.448 हे0) वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 3.60 हे0 पूर्व में जनपद भीलवाड़ा में एन0एच0ए0आई0 के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि का रि–डाईवर्जन एवं 1794 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति) में जारी विधिवत् स्वीकृति में **निहित शर्तें यथावत् रहेंगी।**

10. भीलवाड़ा वन मण्डल के अन्तर्गत भा0रा0रा0प्रा0 के पक्ष में पूर्व में प्रत्यावर्तित 3.6 हे0 वन भूमि के पुनः प्रत्यावर्तन एवं सम्मिलित है, जिसकी विधिवत् स्वीकृति प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227, दिनांक– 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

Amit 23/05/16

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रमुख सचिव {वन}, सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर ।
4. उप वन संरक्षक, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, (वन्य जीव)मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा, राजस्थान।
5. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड–रावतभाटा, राजस्थान।
6. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली ।

Amit 23/05/16

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)